भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 116

जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि

116. **श्रीमति कलाबेन मोहनभाई देलकर:**

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली में इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में इससे लाभान्वित लोगों की संख्या कितनी है और देश भर में इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(घ) क्या जरूरतमंद लोगों को बैंकों द्वारा सहायता न दिए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत ऋण सदस्य उधारदात्री संस्थाओं (एमएलआई), अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) द्वारा प्रदान किया जाता है।

कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और जिसके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए एक व्यवसाय योजना है, इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकता है। वह विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र में आय सृजन संबंधी कार्यकलापों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए चार ऋण उत्पादों, अर्थात् शिशु (50,000 रुपए तक का ऋण), किशोर (50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का ऋण) और तरुण (5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के ऋण) में से कोई ऋण प्राप्त कर सकता है। तरुण प्लस श्रेणी के तहत 20 लाख रुपये तक का ऋण उन उद्यमियों को दिया जाता है जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण का लाभ उठाया है और उस ऋण को सफलतापूर्वक चुकाया है।

(ख) और (ग): सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत सदस्य उधारदात्री संस्थाओं (एमएलआई) को वार्षिक लक्ष्य आबंटित करती है। एमएलआई बदले में क्षेत्र की क्षमता, उनकी उपस्थिति और अन्य संबंधित मापदंडों के अनुसार अपने संबंधित राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात् दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2025 तक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में पीएमएमवाई योजना के अंतर्गत स्वीकृत और संवितरित राशि निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रु. में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	स्वीकृत ऋण खातों की संख्या (करोड़ में)	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
महाराष्ट्र	1.49	1,30,919	1,29,640
मध्य प्रदेश	1.04	81,890	78,804
दादरा और नगर हवेली	0.0013	228	226
अखिल भारत	18.37	15,50,352	15,24,584

(एमएलआई द्वारा मुद्रा पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार)

(घ): सभी स्तरों पर एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र परिचालनरत है। पीएमएमवाई के कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतों का समाधान संबंधित बैंकों के परामर्श से किया जाता है। केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) में प्राप्त शिकायतों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निवारण के लिए संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

इसके अलावा, उस अधिकारी का नाम बैंक शाखा परिसर में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे शिकायतकर्ता कोई शिकायत होने पर संपर्क कर सके। शाखा स्तर पर अनसुलझे शिकायतों को बैंक के शिकायत निवारण प्राधिकारी के अगले उच्च स्तर पर भेज दिया जाता है और 30 दिनों के भीतर अंतिम प्रत्युत्तर दिया जाता है। शिकायतकर्ता शाखा में प्रदर्शित पते पर क्षेत्रीय/अंचल प्रबंधक/मुख्य नोडल अधिकारी (पीएनओ) से भी संपर्क कर सकते हैं।

*****